उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 07.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना श्रीनगर एवं थाना अजनर के विभिन्न संवेदनशील मतदान केन्द्र/मतदेय स्थलों में फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन किया गया। क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिये किया गया जागरुक।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के साथ-साथ जनपद में पारदर्शी, निष्पक्ष और शातिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराये जाने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम तथा क्षेत्र में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक 07.04.2024 को थाना श्रीनगर एवं थाना अजनर की पुलिस टीम द्वारा केन्द्रीय पुलिस बल/असम पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न संवेदशील मोहल्लो/ग्रामों, वल्नरेबिल/क्रिटिकल ग्रामों/मतदेय स्थलों में संयुक्त रुप से फ्लैगमार्च कर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

इस दौरान थानाक्षेत्र की जनता से संवाद स्थापित कर आगामी लोकसभा चुनाव के सम्बंध मे मा0 निर्वाचन आयोग के आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया तथा क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में जनता से निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने गैंगस्टर के वांछित

02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध की रोकथाम तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.04.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड़, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा थानास्तर पर टीमों का गठन किया गया। गठित टीम के उ.नि.विनोद कुमार सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पवन खंगार पुत्र लाल सिंह खंगार उम्र करीब 23 वर्ष को गुलमर्ग के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया

इसी क्रम में उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 80/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चरन राजपूत पुत्र पुत्र भगोली राजपूत उर्फ भागबली उम्र करीब 28 वर्ष को यात्री प्रतीक्षालय जतौरा मोड़ ग्राम रिवई से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 82/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ.नि.विनोद कुमार सिंह 2. का.पवन कुमार 3. का.मो.कामिल थाना चरखारी जनपद महोबा

द्वितीय टीम-

1.उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय 2. हे.का.प्रदीप कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.पवन खंगार पुत्र लाल सिंह खंगार उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम तुरना थाना जरिया जनपद हमीरपुर

2.चरन राजपूत पुत्र पुत्र भगोली राजपूत उर्फ भागबली निवासी ग्राम तुरना थाना जरिया जनपद हमीरपुर उम्र 28 वर्ष

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 07.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने

८०० ग्राम अवैध सूखा गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं परिवहन की रोकथाम तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.04.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर एक नफर अभियुक्त भूपचन्द्र पुत्र फूलचन्द्र चौरसिया उम्र 45 वर्ष पहरा बैरियर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 800 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 104/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. कां0 मोहित सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

भूपचन्द्र पुत्र फूलचन्द्र चौरसिया उम्र 45 वर्ष निवासी मु0 लंघानपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 07.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अग्निशमन टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में बबूल के पेड़ो में लगी आग पर पाया काबू, स्थानीय लोगों ने की जमकर प्रशंसा...।

आज दिनांक 07.04.2024 को अग्निशमन टीम महोबा को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कबरई क्षेत्रअन्तर्गत ग्राम ऊटिया ग्राम पंचायत के पास बबूल के पेड़ों में आग लग गई है जो विकराल रुप धारण कर गावं की ओर बढ़ रही है।

इस सूचना पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा श्री देवेश तिवारी के नेतृत्व में अग्निशमन टीम तत्काल तैयारियों से सुसज्जित होकर फायर टेण्डर के साथ घटना स्थल के लिये रवाना हो गई, पहुंचकर देखा तो पाया गया कि आग बबूल के पेड़ो में लगी थी जो ग्रीष्मऋतु के दृष्टिगत गाँव तक पहुँच रही थी। इस पर त्वारित कार्यवाही करते हुए फायर टेण्डर से पपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया एवं आग को गाँव के घरों तक पहुँचने से रोक लिया गया, किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हो पायी । स्थानीय लोगो ने अग्निशमन टीम महोबा की तत्परता पूर्ण की गई इस त्वरित कार्यवाही की जमकर प्रशंसा की है।

बचाव ही हमारा कर्तव्य है
उ० प्र० अग्निशमन सेवा